न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 03/2025 बउनवानी देवीलाल बैरवा **बनाम** लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर
पुत्र श्री सुखलाल बैरवा निवासी लवकुश कॉलोनी खेरदा सवाई माधोपुर
GCMS No-2025/3

तारीख हुकम — हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

30.1.2025

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 14.11.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *"धोली पुत्र बिशन्या बैरवा, नटी,पारवती,बादाम,रामकन्या, संज्या पुत्रीयान बिशन्या बैरवा निवासी अडूडी तहसील सवाईमाधोपुर जरिये देवीलाल बेरवा ने उक्त 6 बहिनो की पैतृक कृषि भूमि की शामिल एक ही जमाबन्दी बनाने बाबवत आवेदन किया था दिनांक 9.10.24 के पत्र की पालना में आप द्वारा की गयी एक ही जमाबन्दी एवं की गयी तरमीम के नक्शे की प्रमाणित प्रति की सूचना"* तहसीलदार सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः आरटीआई/2025/11 दिनांक 28.01.2024 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 14.11.2024 में चाही गयी सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 512 दिनांक 20.12.2024 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि प्रार्थना पत्र दिनांक 9.10.2024 में अंकित ख0न0 34,79,115,157,158,159,160,161 की भूमि सहखातेदारान की है व सभी खातेदार सहमति से बंटवारा करवाने के लिए सहमत नही होने से तरमीम किया जाना सम्भव नही है, बटवारा हेतु सक्षम न्यायालय मे तकासमा वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। इस प्रकार चाही गयी सूचना के संबंध में अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 14.11.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना के संबंध मे तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 512 दिनांक 20.12.2024 से अपीलान्ट को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा चुका है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:31:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner